पत्र सं०–6 एस०एस०(6)14/2013– 2456/

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 22/5/2026.

XX
अनौपचारिक रूप से रामर्शित।

XX

द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के अन्तर्गत कुल रुपये 99.96 लाख (निन्यानवे लाख छियानवे हजार रुपये) मात्र के अनुमानित लागत पर अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०–2620, दिनांक–13.06.2025 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के अन्तर्गत कुल रुपये 99.96 लाख (निन्यानवे लाख छियानवे हजार रुपये) मात्र के अनुमानित लागत पर अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु कृषक, प्रगतिशील डेयरी कृषक, बेरोजगार युवक/युवतियों, जो गव्य व्यवसाय से जुड़े हों अथवा जुड़ने की इच्छा रखते हो, उन्हें राज्य के अन्दर स्थित राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना है।

3) वित्तीय वर्ष 2026–2027 में गव्य प्रक्षेत्र की निम्नांकित विधाओं/ कार्यक्रमों में प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है :–

गव्य प्रबंधन एवं मूल्यवर्द्धन नस्ल पहचान एवं दुधारू मवेशी में दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय, हरा चारा उत्पादन, नस्ल सुधार, प्राथमिक उपचार, दुधारू पशु प्रबंधन एवं पशु रोगों के रोकथाम, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध से निर्मित उत्पाद, गव्य विकास एवं पशु प्रबंधन, डेयरी उद्यमिता एवं डेयरी प्रक्षेत्र में स्टार्टअप, इंटिग्रेटेड डेयरी फार्मिंग आदि।

4) प्रशिक्षण के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का चयन गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्धारित कार्यान्चयन अनुदेश के अनुरूप

संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा अपने जिला के भौतिक लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा।

5) योजना का क्रियान्वयन निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना / संबंधित जिला एवं सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6) सरकारी संस्था यथा डी0एन0एस0, पटना तथा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना में सूचीबद्ध (Empanelled) प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु बजट उपबंधित / आवंटित राशि अन्तर्गत प्रशिक्षण शुल्क, पाठ्य सामग्री शुल्क, मानदेय, व्यवहारिक भ्रमण एवं ठहरने, खाने के लिए निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना अथवा इनके प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निकासी कर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं वापस आने मद में संबंधित / सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी। निदशक (गव्य) इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7) इस योजना अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को भुगतान की जाने वाली प्रशिक्षण शुल्क का दर रूपये 1100 / –प्रति प्रशिक्षणार्थी / प्रतिदिन तथा भाड़ा / परिवहन व्यय हेतु दूरी का आकलन कर अधिकतम रूपये 1500 / – प्रति कृषक को भुगतान करने के निमित्त उच्च स्तरीय निर्णय प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की गई है।

8) बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता :–

(i) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास--राज्य स्कीम, लघु शीर्ष–789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0101 –ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएँ, विपत्र कोड 02–2404007890101, विषय शीर्ष–0101.20.03 –प्रशिक्षण व्यय, के तहत रुपये 60.00 लाख का बजट उपबंध उपलब्ध है।

(ii) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास--राज्य स्कीम, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष--0101 –प्रशिक्षण एवं विस्तार विपत्र कोड 02–2404007960101, विषय शीर्ष–0101.20.03 –प्रशिक्षण व्यय अन्तर्गत रुपये 40. 00 लाख का बजट उपबंध उपलब्ध है।

9) यह स्कीम एक चालू राज्य स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)14 / 2013 के पृष्ठ–94 / टि०, दिनांक–12.05.2026.

10) निदेशक, गव्य बिहार, पटना इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति तथा सफल क्रियान्वयन हेतु पुर्णरूपेण जबावदेह होगे तथा क्रियान्वयन एजेन्सी से योजना पर होने वाले व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भी जबावदेह होंगे।

11) राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)14/2013 के पृष्ठ-93/टि० तथा डायरी सं०-273, दिनांक-06.05.2026.

12) वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

विश्वासभाजन

21/5

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2013- 2456/पटना-15, दिनांक- 22/5/2026.

प्रतिलिपिः- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2013-2456 /पटना-15, दिनांक- 22/5/2026.

प्रतिलिपिः- अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2013-2456/पटना-15, दिनांक- 22/5/2026.

प्रतिलिपिः- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी/ निदेशक, गव्य बिहार, पटना/प्रबधक डी०एन०एस०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2013- 2456/पटना-15, दिनांक- 22/5/2026.

प्रतिलिपिः- अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय, बिहार, पटना के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2013- 2456/पटना-15, दिनांक- 22/5/2026.

प्रतिलिपिः- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/महालेखापरीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)14/2013–2456 /पटना–15, दिनांक– 22/5 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

4 Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना से संबंधित योजना पर कोटिवार बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध व्यय की जाने वाली राशि का व्यय विवरणी :–

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	विपत्र कोड	योजना विवरणी	सदस्यों की संख्या	प्रति सदस्य पाँच दिवसीय प्रशिक्षण शुल्क	अनुमानित लागत व्यय	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02–2404007890101 (अनुसूचित जाति) 20.03 --प्रशिक्षण व्यय	सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थान/डी०एन०एस० पटना में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क, ठहरने, खाने इत्यादि मद की राशि।	857	5500	4713500.00	निदेशक(गव्य) बिहार, पटना या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
		प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं वापस आने के लिये भाड़ा मद की राशि।		1500	1285500.00	संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी	संबंधित जिला कोषागार
2	02–2404007960101 (अनुसूचित जनजाति) 20.03 --प्रशिक्षण व्यय	सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थान/डी०एन०एस० पटना में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क, ठहरने, खाने इत्यादि मद की राशि।	571	5500	3140500.00	निदेशक(गव्य) बिहार, पटना या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
		प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं वापस आने के लिये भाड़ा मद की राशि।		1500	856500.00	संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी	संबंधित जिला कोषागार
				कुल योग :--	**9996000.00**		

कुल (रुपये निन्यानवे लाख छियानवे हजार) मात्र।

2456
22/5/26

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar